IV/14

...an Afr...
Advo...
Civil Court Bulandshah (U...
Regd. No. 1764/11

स्पलीमेन्ट्री ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क—800/—रूपये

हम कि श्रीमती मन्जु लता पत्नी श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट—लखावटी, जिला—बुलन्दशहर (उ0प्र0) जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण/ट्रस्टीगण कहा गया है। व्यवस्थापको की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है। जिसके लिए व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट/न्यास स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/—रूपेय के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कराना चाहते है, और उक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशि अंकन 11000/—रूपये को इस उददेश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियो एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेगे। उक्त व्यवस्थापको ने उक्त ट्रस्ट/न्याय के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है, और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि:—

Manju Manju

1 यह है कि उक्त ट्रस्ट / न्यास का नाम भूपसिह कश्मीरी देवी चैरिटेवल ट्रस्ट होगा ।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट / न्यास का मुख्य कार्यालय ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला बुलन्दशहर (उ0प्र0) तथा शिविर कार्यालय लखावटी हाऊस जे एफ 109 भागीरथी कुन्ज गंगानगर मेरठ होगा परन्तु ट्रस्टीगण /न्यासीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट /न्यास का कार्यालय कही पर भी सहमति से स्थान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11000/– रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फन्ड कहाँ गया है। तथा भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति नगद राशि , निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधी जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण समय समय पर प्राप्त हों , को धारण करेगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियो तथा कर्तव्यो को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेगे

4 यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट तथा फन्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियो को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य , औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्यशालाओ की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करगे तथा न्यासीगण को समय –समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उददेश्यो मे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्रमशः

Manjh

5. यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी , गैरसरकारी संस्थाओ , व्यक्तियो , संस्थाओ व विभागो से कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उददेश्यो के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फन्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उददेश्यो मे से किसी एक या अनेक समस्त और जितनी मात्रा मे चाहे स्वागीण रुप से प्रयोग कर सकते है।

(1) चिकित्सीय कॉलिज एवं अस्पताल इंर्जनियरिग कॉलिज फार्मा कॉलिज तथा विश्वविधालय की स्थापना करना और संचालन करना

(2) स्कूल कॉलिज तकनीकी ,फार्मा एवं प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओ की स्थापना व संचालन कराना

(3) स्कूल , (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलो तथा प्रशिक्षण कॉलिज की स्थापना कराना व संचालन कराना

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना

क्रमशः

Manju

(5) शैक्षिक किताबो ,पेपर का प्रकाशन कराना , लाइब्रेरी ,रिडिग रुम तथा हॉस्टल / छात्रावास आदि की स्थापना कराना एवं संचालन कराना

(6) धर्मशाला ,आश्रम,क्रेश,वुद्वाश्रम ,अनाथआश्रम ,गौशाला ,आघ्यात्मिक,साधना ,योग केन्द्र तथा सभी के लिए धार्मिक स्थल बनवाना तथा उनकी देखभाल कराना।

(7) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसख्यक वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरुरतमन्द छात्र / छात्राओ के लिए छात्रवृत्ति व सहायता आदि प्रदान कराना । समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त कराना तथा पात्र छात्र / छात्राओ को छात्रवृत्ति देना ।

(8) कृर्षि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना प्राप्त करना उन्हे क्रय विक्रय करना ,हस्तान्तरण करना तथा कृर्षि भूमि पर कृषि कार्य कराना भवन निर्माण कराना भवन क्रय कराना व लीज पर देना व लेना ।

(9) सरकारी सहायता प्राप्त कराना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फेन्चाईजी बनाकर उसे बढाने का कार्य कराना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापको ,कर्मचारियो को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हे कम्प्यूटर खरीद कर देना एवं सर्विस प्रोवाइड कराना ।

क्रमशः

Manji

(10) निरीह प्राणियो व पशु एवं पक्षियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयो की स्थापना व व्यवस्था करना ।

(11) स्कूल कॉलिज मे छात्र /छात्राओ को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(12) अस्पताल औषद्यालय, अनुसंधान शालाओ एवं रसायन शालाओ का संचालन एवं स्थापना कराना एवं एम्बुलेंश की व्यवस्था कराना ।

(13) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए काय करना ।

(14) ट्रस्ट की आय बढाने के उददेश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना , ट्रस्ट के लिए दान लेना एवं दान की रसीद देना । बैंक एवं वित्तीय संस्थानो से ऋण लेना समान उददेश्य वाली न्यास /ट्रस्ट सोसायटी से ऋण दान सहायता लेना व देना ।

(15) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

7. **यह की न्यास /ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।**

ट्रस्टीगण के अधिकार ,कर्त्तव्य एवं नियुक्ति –

8. यह की न्यासीगण को ट्रस्ट फन्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर मे कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यो के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फन्ड या उसके किसी भाग अथवा भागो को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि टस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

10. यह कि व्यवस्थापको / ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने हेतु अपने मे से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव उपाध्यक्ष ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव उपसचिवव कोषाध्यक्ष व आजीवन सदस्यो का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियो व ट्रस्टीयो का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तथा समय से पहले भी अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष व आजीवन सदस्य बाकी पदाधिकारिये को उनके पद से हटा सकते है। निवर्तमान पदाधिकारियो का पुन चयन हो सकता है। व्यवस्थापक न्यासीगण व अन्य सदस्य अपनी इच्छानुसार समय से पहले भी पद से त्याग पत्र दे सकते है।

क्रमश :

Manju

11 यह कि श्रीमती मन्जु लता उक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव होगी । न्यास/ ट्रस्ट की समिति निम्नवत है।:-

1.श्रीमति चन्दवती पत्नी स्व0 श्री बुद्वसिह निवासी ग्राम व पोस्ट -लखावटी जिला -बुलन्दशहर पैट्रन

2.श्री चन्द्रपाल सिह पुत्र स्व0 श्री बुद्वसिह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
अध्यक्ष

3.श्री अनिलकुमार पुत्र स्व0 श्री बुद्वसिह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
उपाध्यक्ष

4.श्रीमती मंजुलता पत्नी श्री चन्द्रपालसिह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
सचिव

5.श्री अर्पितसिह पुत्र श्री चन्द्रपालसिह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
उपसचिव

6.श्री भूपेश कुमार पुत्र श्री चन्दपाल सिह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
कोषाध्यक्ष

7.श्रीमती कनिका पत्नी श्री अनिलकुमार निवासीग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
आजीवन सदस्य

8.श्रीमती नीरजसिह पत्नी श्री भूपेश कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
आजीवन सदस्य

9.कु0 श्वेतासिह पुत्री श्री चन्द्रपालसिह निवासीग्राम व पोस्ट लखावटी जिला -बुलन्दशहर
आजीवन सदस्य

12 यह कि पदाधिकारियो के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होगे।

<u>अध्यक्ष</u> :- ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना , ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्दे श व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना ।

<u>उपाध्यक्ष</u> :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के कर्तव्यो का निर्वहन करना एवं निर्णयो मे अपने मत का उपयोग करना

<u>सचिव</u> :- ट्रस्ट की बैठको मे पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशो को कार्य रुप मे परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रुप से संचालित करना । सभी बैठको को समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रुप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्स्टीयो को भेजना ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना । ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियो का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना क्रय/विक्रय तथा अन्य सभी विलेखो / दस्तावेजो पर कोषाध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।

<u>उपसचिव</u> :- सचिव की अनुपस्थिति मे बहुमत के आधार पर सचिव के कर्तव्यो का निर्वहन करना एवं निर्णयो मे अपने मत का प्रयोग करना

क्रमशः

Manju

कोषाध्यक्ष :- ट्रस्ट की समस्त आय- व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना ट्रस्ट के खातो का संचालन संयुक्त रुप से सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा होगा।

आजीवन सदस्य :- बैठको मे प्रतिभाग करना व निणर्यो मे मत देना ।

13. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे- न्यायालय प्रकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करो से सम्बन्धित लेन देन निर्माण मान्यता सम्बद्वता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेगे।

14. यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमे वे स्वयं या उनमे से एक या अधिक ट्रस्टी या अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियो को नियुक्त करने का अधिकार होगा।एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यो, उददेश्यो के संचालन व पुर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी ।साधारण ट्रस्ट के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष , आजीवन सदस्य ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियो के क्रमशः पदाधिकारी होगे।

15. यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिव , कोषाध्यक्ष, आजीवन सदस्य आपसी सहमति से किसी को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एव उददेश्यो मे परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को होगा। सदस्यो का कार्य 3 वर्ष होगा। उन्हे ट्रस्ट की सम्पत्तिया धनराशि व अन्य सम्पत्ति के विषय मे कोई अधिकार नही होगा।

16. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल मे कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगाऔर ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय मे होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

17. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयो की सख्या का 1/3 होगा यदि कोरम के अभाव मे सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणो को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो मे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव ,कोषाध्यक्ष,आजीवन सदस्य की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।ट्रस्टी की उपस्थिति लिखित सूचना / सहमति भेजने पर भी मानी जा सकेगी।

क्रमशः

Manju

18. यह कि उक्त व्यवस्थापको को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

19. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रुप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियो के लिए उत्तरदायी होगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैकर दलाल ऐजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ मे ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियॉं आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझ कर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उनके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होगे।

20.यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उददेश्यो से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमे बैक भी सामिल है को नियुक्त करने का तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण मे निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21.यह कि सचिव व कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि जमा खाता बचत खाता ओवर ड्राफ्त खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैकिग का व्यवसाय करती हो मे खोल और रख सकते है उक्त सभी बैकिंग एकाउन्ट्स –खातो व अन्य सभी बैकिग खातो का सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा होगा।

22. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियो का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा / आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेगे जो कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

23 यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियो संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24 यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगे तथा ट्रस्ट के उददेश्यो के विपरीत न हो को प्रप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व मे हो या लीज पर हो या किराये पर हो क्रय करने या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने विक्रय करने किराये पर देने हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्यो से रिक्त होने का अधिकार नही होगा। किन्तु जब भी कोई सम्पत्ति विक्रय की जायेगी जो उस पर सचिव व कोषाध्यक्ष दोनो के हस्ताक्षर होगे।

क्रमश.

Mayg

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465255

26. यह कि सचिव व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए समय–समय पर व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओ फर्म बैक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। सचिव व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट की सम्पत्तियो/अचल सम्पत्तियो को बंधक रखकर ट्रस्ट के उददेश्यो के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा, तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा।

Mayu

भारतीय गैर न्यायिक

क सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH DG 465254

25. यह कि ट्रस्ट फण्ड मे सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियो या आस्तियो या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो मे सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनःविक्रय की संविदा मे परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा, और ट्रस्टीगण उसमे हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465256

27. यह कि ट्रस्ट के पंजीकरण हेतु डीड सचिव द्वारा पंजीकृत कराई जायेगी।

28. यह कि एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ होगे, तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियो/परिसम्पत्तियो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियो का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है, तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी, वो ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जागेगा।

Manju

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465257

29. आज की तारीख तक ट्रस्ट के नाम कोई अचल सम्पत्ति नही है।

विदित हो इस स्पलीमेन्ट्री ट्रस्ट डीड द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट डीड जिसका इन्द्राज बही नं0–4, जिल्द सं0–265, पेज–159/178 क्रमांक 78 पर दिनांक 30.12.2008 उपनिबन्धक कार्यालय, बुलन्दशहर में दर्ज है, जिसमें इस स्पलीमेन्ट्री ट्रस्ट डीड द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है तथा शेष वहीं है।

Manju

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465258

1— उपरोक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ सं0—2 पर क्रम सं0—2 की लाईन—3 में शिविर कार्यालय हाउस, जे0एफ0—109, भागीरथी कुंज, गंगा नगर मेरठ के स्थान पर लखावटी हाउस एम.आई.जी 64, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर किया जा रहा है।

Manju

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465259

2— उपरोक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ सं0—6 पर न्यास/ट्रस्ट की समिति निम्नवत् है:—

(1) श्री अर्पित सिंह पुत्र स्व0 श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला—बुलन्दशहर (अध्यक्ष)

(2) श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री बुद्धसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला—बुलन्दशहर (उपाध्यक्ष)

(3) श्रीमती मंजुलता पत्नी स्व0 श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला—बुलन्दशहर (सचिव)

(4) कु0 श्वेता सिंह पुत्री स्व0 श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला—बुलन्दशहर (उप सचिव)

(5) श्री भूपेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री बुद्धसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला—बुलन्दशहर (कोषाध्यक्ष)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465260

(6) श्रीमती कनिका पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम–लखावटी जिला–बुलन्दशहर (आजीवन सदस्य)

(7) श्रीमती नीरज सिंह पत्नी श्री भूपेश कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला–बुलन्दशहर (आजीवन सदस्य).

(8) कु0 अनन्या सिंह पुत्री श्री भुपेश कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला–बुलन्दशहर (आजीवन सदस्य)

(9) श्री आदित्य प्रताप सिंह पुत्र श्री भूपेश कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट लखावटी जिला–बुलन्दशहर (आजीवन सदस्य)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 465261

(10) श्री जुगेन्द्र वीर सिंह पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र वीरसिंह निवासी गदरपुर, जिला–उद्धमसिंह नगर।

(11) श्री रविन्द्र वीर सिंह पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र वीरसिंह निवासी गदरपुर, जिला–उद्धमसिंह नगर।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक–ट्रस्टीगण ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

मंजूलता का आधार कार्ड न० 8878 2880 8125

Manju

साक्षी.................................

Afshan Afridi
Advocate
Civil Court Bulandshah (U.P.)
Regd. No 1764/11

आधार कार्ड न० 4381 3809 5054.

साक्षी.................................

मुकेश कुमार
S/o रघुराज सिंह
R/o इमामपुर लडूकी
थाना
कोतवाली नगर
आधार 5667 4691 6815

तहरीर तारीख 21.02.2017

स्थानः– बुलन्दशहर।

ड्राफ्ट बाईः– श्री अफशान अहमद आफरीदी एडवोकेट, सिविल कोर्ट बुलन्दशहर।

टाईपकर्ताः– हर्ष कुमार ।

Afshan Afridi
Advocate
Civil Court Bulandshah (U.P.)
Regd. No 1764/11